सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश–272202
ई–मेल: registrar@suksn.edu.in
वेबसाइट: www.suksn.edu.in
मोबाइल नम्बर: 6388907621

SIDDHARTH UNIVERSITY

Kapilvastu, Siddharth Nagar, U.P. 272202
E-Mail Id: registrar@suksn.edu.in
Website: www.suksn.edu.in
Mobile Number: 6388907621

पत्रांक: 451 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2023 दिनांक: 02 / 09 / 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– **प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2437 / सत्तर–3–2023 दिनांक 28 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में पूर्ण सेफ सिटी परियोजना परियोजना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शत–प्रतिशत सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– उक्त कैमरा शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार / निकास द्वार, परिसर, शिक्षण कक्ष (अन्दर एवं बाहर), गैलरी, बरामदा एवं मेनगेट (सड़क व अन्य) तथा छात्रावासों में लगाये जायें। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उनके रख–रखावं की समुचित व्यवस्था की जाय। प्रत्येक संस्थान के सी0सी0टी0वी0 कैमरे अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा उनकी न्यूनतम गारन्टी 05 साल की हो।

3– उक्त सभी कैमरे लिंक के माध्यम से पुलिस व नगर प्रशासन से जुड़े रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर संस्थान से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

4– सितम्बर, 2023 के अन्त में मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत वृहद कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाना है। इसलिए दिनांक 15.09.2023 तक उक्त व्यवस्था शत–प्रतिशत पूर्ण कराते हुए इसकी सूचना निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10.09.2023 तक प्रत्येक दशा में महाविद्यालय में शासनादेश में उल्लिखित स्थानों पर कैमरा स्थापित किया जा चुका है। इसका प्रमाण पत्र कुलसचिव कार्यालय की ई–मेल आई0डी0– regoff@suksn.edu.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

04/09/23

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-2437/सत्तर-3-2023

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।

4. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2023**

विषय: प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में पूर्ण सेफ सिटी परियोजना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त कैमरा शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार/निकास द्वार, परिसर, शिक्षण कक्ष (अन्दर एवं बाहर), गैलरी, बरामदा एवं मेनगेट (सड़क व अन्य) तथा छात्रावासों में लगाये जायें। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जाय। प्रत्येक संस्थान के सीसीटीवी कैमरे अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा उनकी न्यूनतम गारन्टी 05 साल की हो।

3- उक्त सभी कैमरे लिंक के माध्यम से पुलिस व नगर प्रशासन से जुड़े रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर संस्थान से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

4- सितम्बर, 2023 के अन्त में मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत वृहद कार्यकम का उद्घाटन किया जाना है। इसलिए दिनांक 15.09.2023 तक उक्त व्यवस्था शत-प्रतिशत पूर्ण कराते हुए इसकी सूचना निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

5- राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों में उक्त कैमरे लगवाने की कार्यवाही सम्बन्धित कुलसचिवों के द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय तथा राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में उक्त कैमरे लगवाने की कार्यवाही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जानी है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसकी अनुपालन आख्या एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

NIMGO

समयबद्ध / दिनांक 01.09.2023 तक
संख्या-2474/सत्तर-3-2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

श्री सत्यम दीक्षित
01/09/23

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।

4. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2023**

विषयः सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.08. 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2023 को सम्पन्न बैठक में सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

(1) प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में पूर्ण सेफ सिटी परियोजना स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) उक्त कैमरा शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश द्वार / निकास द्वार, परिसर, शिक्षण कक्ष (अन्दर एवं बाहर), गैलरी, बरामदा एवं मेनगेट (सड़क व अन्य) तथा छात्रावासों में लगाये जायें। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा एवं उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जाय। प्रत्येक संस्थान के सीसीटीवी कैमरे अच्छी गुणवत्ता वाले हों तथा उनकी न्यूनतम गारन्टी 05 साल की हो।

(3) प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों) में लगाये गये सीसीटीवी कैमरा की विश्वविद्यालय / महाविद्यालय वार सूची उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) उच्च शिक्षण संस्थानों विशेषकर कोचिंग सेंटरों में छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(5) उक्त बैठक में उच्च शिक्षा हेतु संचालित होने वाली कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि जिन कोचिंगों में छात्राएं अध्ययरत हैं, वह कोचिंग रात्रि 08:00 बजे तक संचालित की जाय। यदि कोई कोचिंग रात्रि 08:00 बजे के उपरान्त संचालित पायी जाती है, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या दिनांक 02.09.2023 तक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी **अनुपालन आख्या शासन के ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 01.09.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–5 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।